

आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश
(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल जय प्रकाश अस्पताल परिसर, भोपाल

क्रमांक / सी.ई.ओ. / ए.बी. / 2019 /

भोपाल, दिनांक

/ 01 / 2019

::आदेश::

आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश "निरामयम्" के अर्न्तगत निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के इम्पेनलमेंट हेतु दिनांक 25/01/2019 को राज्य स्तरीय इम्पेनलमेंट कमेटी की बैठक में निम्नलिखित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को **Desirability and Feasibility certificate** एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की रिपोर्ट के आधार पर आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश "निरामयम्" में एक वर्ष की अवधि के लिए इम्पेनेल्ड इस शर्त पर किया गया है कि संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा एक वर्ष में अनिवार्य रूप से एन.ए.बी.एच. एक्रिडेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे।

1. सर अरविन्दो इन्सटीट्यूट ऑफ मेडीकल साईंस इन्दौर उज्जैन स्टेट हाइवे ग्राम भवरसिया जिला इन्दौर।
2. इन्डेक्स इन्सटीट्यूट ऑफ मेडीकल साईंस इन्डेक्स सिटी नियर खुदाल एन.एच. 59 ए नेमावर रोड जिला इन्दौर।

(डॉ. विजय कुमार जे)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामयम्

भोपाल, दिनांक 01/01/2019

क्रमांक / सी.ई.ओ. / ए.बी. / 2019 / 77

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
- 2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.
- 3- स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 4- आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 5- संचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 6- संचालक चिकित्सा सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल
- 7- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 8- कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत, म.प्र.आई.ई.सी.ब्यूरो, भोपाल ।
- 9- जनरल मेनेजर, ऑपरेशन आयुष्मान भारत, म.प्र.आई.ई.सी.ब्यूरो, भोपाल ।
- 10- वित्त अधिकारी आयुष्मान भारत म.प्र.आई.ई.सी.ब्यूरो, भोपाल ।
- 11- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 12- समस्त सिविल सर्जन सह-अधीक्षक मध्यप्रदेश।
- 13- समस्त प्रभारी अधिकारी सिविल अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मध्यप्रदेश।
- 14- संबंधित निजी चिकित्सालयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 15- वेब एडमिनीस्ट्रेटर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 16- आदेश नस्ती।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश निरामयम्